

चेकलिस्ट क्र.-18

अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत खरसिया व रायगढ़ वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन रकबा 0.7970, संरक्षित वन का रकबा 0.1517 हे. तथा राजस्व वनभूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल) का रकबा 2.6271 हे. इस प्रकार कुल रकबा 3.5758 हे. भूमि में 18" इंच व्यास की प्राकृतिक गैस पाईप लाईन एवं ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। व्यपवर्तन के इस प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(एम.वी. अरविन्द)

M.V. ARVIND
उप महाप्रबंधक (परियोजना)
उप महाप्रबंधक (निर्माण)

गेल (इण्डिया) लिमिटेड
तेलीबाधा रायपुर (छ.ग.)
GAIL (India) Ltd. Raipur
Deputy General Manager (Construction)

वन परिक्षेत्राधिकारी
रायगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
खरसिया

उप वनमण्डलाधिकारी
घरघोड़ा

उप वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़